

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 27/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/147

अनवान

1. पन्नालाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वरलाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सायरी पुत्री नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भुसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता केला तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता पोखर तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता मथुरालाल तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हजारी पिता तुलछा तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बाबुलाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज - प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:-25.08.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 73 में अंकित आराजी संख्या 235 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित हैं।
2. इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 75 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1000/230 रकबा 0.25 है0 भूमि स्थित है।
3. इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 72 में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1014/215 रकबा 0.05 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त



सहायक अधिवक्ता  
(राजस्व) रायपुर

करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 20.05.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

4. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिसा तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 28.07.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 5 लगायत 6 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते है।
5. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 73 में अंकित आराजी संख्या 235 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित हैं। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 75 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1000/230 रकबा 0.25 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 72 में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1014/215 रकबा 0.05 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 73 में अंकित आराजी संख्या 235 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित हैं। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 75 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या



सहायक कमिश्नर  
(राजस्व) रायपुर

1000/230 रकबा 0.25 है० भूमि स्थित है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 72 में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1014/215 रकबा 0.05 है० भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।



(करुणा लाडोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर जिला मालवाड़ा  
(राजकोष) रायपुर

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर जिला मालवाड़ा  
(राजकोष) रायपुर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 27/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/147

**अनवान**

1. पन्नालाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वरलाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सायरी पुत्री नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. शम्भुसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता केला तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मोहन पिता पोखर तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भैरू पिता मथुरालाल तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हजारी पिता तुलछा तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. बाबुलाल पिता नानुराम तेली निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट**

**प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 25.08.2025 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खाखरमाला पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 73 में अंकित आराजी संख्या 235 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 247 रकबा 0.07 है0 भूमि स्थित हैं। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 75 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1000/230 रकबा 0.25 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम खाखरमाला के खाता संख्या 72 में प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि आराजियात संख्या 1014/215 रकबा 0.05 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 25.08.2025 को उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(करुणा लाड़ोती)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा